

फर्द अहकाम

2024/574

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी मुकाम- डीडवाना
प्रार्थी- ताराचन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी डाबगांव तहसील छोटी खाटू, जिला डीडवाना-कुचामन
राज0 वगै0।

अप्रार्थीगण :- महावीर प्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी डाबगांव तहसील छोटी खाटू, जिला
डीडवाना-कुचामन राज0 वगै0।
किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...175/2024 सन्-2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
22.10.2024	<p>प्रार्थी ताराचन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी डाबगांव तहसील छोटी खाटू, जिला डीडवाना-कुचामन राज0 वगै0 ने यह ब्राह्मण निवासी डाबगांव तहसील छोटी खाटू, जिला डीडवाना-कुचामन राज0 वगै0 के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर सुना गया तथा रेकॉर्ड का अवलोकन किया। रेकॉर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद डाबगांव के खेत खसरा सं0 475 की भूमि में राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं बैचाण नही करेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा।2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें।3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को पेश हो। <p style="text-align: center;"><i>Wkas</i> उपखण्ड अधिकारी डीडवाना</p> <p>28/11/24 पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। भिसल दिनांक 28/2/24 को पेश हो।</p>	



20/2/25 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर फारे है।
मिसल दिनांक 5/6/25 को पेश हो।

25/4/25

पत्रावली वकील वारीजता की कोर है श्री
गुरु वा है। अर्थात् पत्र पेडा भरि पर कल
वा के कथ आद पेडा हुई। वारीजता की
कोर है अधिवक्ता श्री जो वकील वीरनी
के वकीलता नाम पेडा किया है। गुरु वाड
के पत्रावली की परिधि विन्नी स्वामीन लक्ष्मी
का प्राचीना पत्र पेडा किया। प्राचीन के प्राचीन
पत्र को न्यायस्थिता के लीकर दिया। पत्र
पत्रावली परिधि विन्नी स्वामीन वी पाकर
के मल शुभार वीकर के मल हो।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना